प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 73/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध' विषय पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/ प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 18 अगस्त 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 07.07.2023 को 'ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं के चयनात्मक प्रतिबंध' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04.08.2023 और काउंटर टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 18.08.2023 निर्धारित की गयी थी।

2. टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 18.08.2023 और 01.09.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

3. टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय को और आगे बढ़ाने के हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 01.09.2023 और 15.09.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

4. टिप्पणियाँ/ प्रति टिप्पणियाँ श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा